प्रेषक,

जिलाधिकारी
झाँसी।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरति अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्याः 967 /एस0टी0–एन0जी0टी0 /2023–24 दिनांक 02 जनवरी 2024

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर ई0ए0 नं0 38/2022, ए0ओ0 नं0 165/2021 गिरजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 के अनुपालन में अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर ई0ए0 नं0 38/2022, ए0ओ0 नं0 165/2021 गिरजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 के अनुपालन में नगर निगम झाँसी के द्वारा अनुपालन आख्या मा0 न्यायालय को दिनांक 21.12.2023 को जरिये मेल प्रेषित की गयी है। तत्क्रम में जल निगम व नगर निगम द्वारा पुनः अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

अतः नगर निगम व जल निगम झाँसी की आख्या संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पीठ के समक्ष अग्रेत्तर निर्देशार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

जिलाधिकारी,
झाँसी।

संख्या व दिनांक तद्

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 के क्रम में सादर अवलोकनार्थ।
2. आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी की सेवा में सादर सूचनार्थ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम झाँसी को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

हरित झाँसी। स्वच्छ झाँसी।

झाँसी नगर निगम, झाँसी

कार्यालय नगर आयुक्त, झाँसी

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, JHANSI

e-mail: nagarayukta@jnnjhansi.com Office Contact No:0510-2332097

संख्या 45 पी0ए0 / न0आ0 / न0नि0 / 2023–24 दिनांक: 30/12/,2023

प्रेषक

नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी

सेवा में

जिला मजिस्ट्रेट
झाँसी।

विषयः-- **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मूल प्रार्थना पत्र संख्या 165 / 2021 गिरजाशंकर राय आदि बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.09.2022 व दिनांक 10.10.2023 के अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 195 / ओ0एस0डी0 दिनांक 26.12.2022, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) झाँसी के पत्र संख्या 937 / एसटी–एनजीटी / 2022–23 दिनांक 19 दिसम्बर 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिसिपल बैंच नई दिल्ली द्वारा गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.12.2022 व 10.10.2023 के अनुपालन में कार्यवाही कर वांछित आख्या प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मौजा डडियापुरा की खतौनी वर्ष 1427 लगायत 1432 फसली के खाता संख्या 585 पर 60 किता रकवा 33.068 हे0 लक्ष्मी तालाब के रूप में दर्ज है जो राज्य सरकार की सम्पत्ति है एवं नगर निगम झाँसी के प्रबन्धन में है। इस भूमि में सात मन्दिर व एक मजार तथा दो मकान अवैध रूप से बने हुये पाये गये। श्री मनीराम पुत्र श्री बाबूलाल रायकवार व श्री जितेन्द्र रायकवार पुत्र श्री बाबूलाल रायकवार निवासी ढिमरयाना डडियापुरा झाँसी के द्वारा मौके पर बने हुए पाये गये थे। श्री मनीराम का मकान लगभग 200 वर्गफुट में बना था, जो काफी पुराना था एवं श्री जितेन्द्र रायकवार द्वारा मा0 प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल, मई 2021 में कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान बनाया गया था, इन दोनो अतिक्रमणकर्ताओ का अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये दिनांक 21.12.2021 को दोनो मकानो को हटा दिया गया है।

दिनांक 21.12.2021 को लक्ष्मीताल से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स

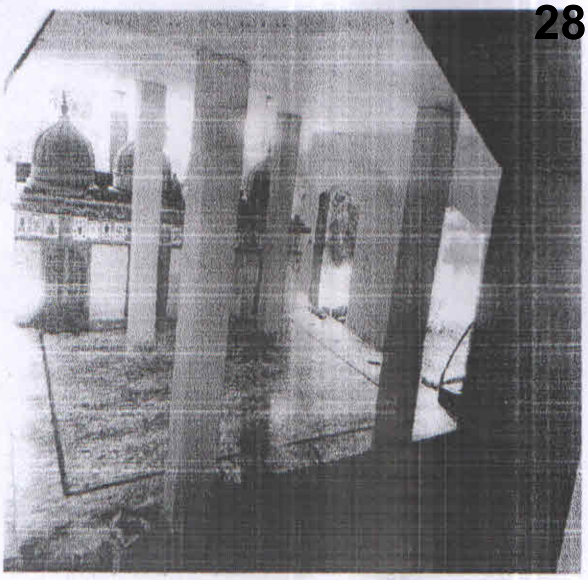

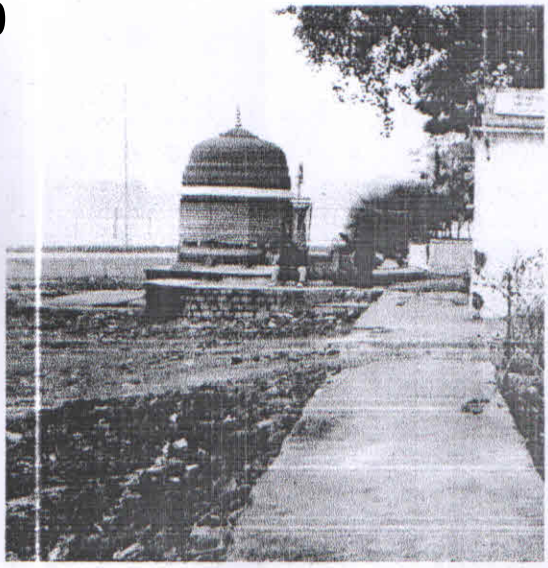

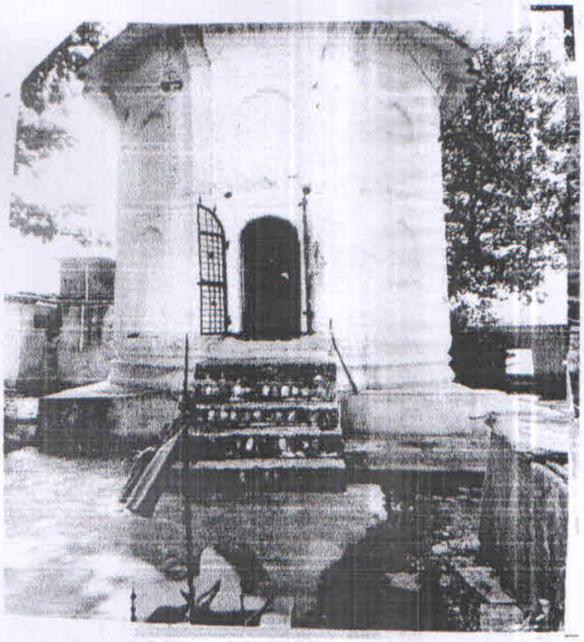

अनाधिकृत संरचनाओ के फोटोग्राफ्स

उल्लेखनीय है इन अनाधिकृत निर्माण में सात मन्दिर एवं एक मजार शामिल है जो रानी लक्ष्मी बाई के समय के बताये जाते है। मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालन में दिनांक 29.12.2022, 18.01.2023, 28.01.2023, 10.02.2023 को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पुलिस बल के साथ उक्त अनाधिकृत निर्माण को हटाने का भरसक प्रयास किया गया किन्तु भारी संख्या में लोगो के विरोध के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नही हो सकी।

दिनांक 29.12.2022 को लक्ष्मीताल से अतिकमण हटाये जाने की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स

दिनांक 18.01.2023 को लक्ष्मीताल से अतिकमण हटाये जाने की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स

दिनांक 28.01.2023 को लक्ष्मीताल से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स

दिनांक 10.02.2023 को लक्ष्मी तालाब से अतिक्रमण की हटाये जाने की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स

उक्त प्रयासों से यह प्रदर्शित होता है भारी संख्या में लोगो की आस्थाएें एवं भावनाऐं इन मन्दिरों और मजार से जुड़ी हुयी है जिन्हें हटाने पर शान्ति भग होने के करण साम्प्रदायिक सौहार्द के बिगड़ने की पूरी सम्भावनाऐं है अतः इन अनाधिकृत निर्माण को बल पूर्वक हटाने से पूर्व एक बार इन निर्माण को विस्थापित (रीलोकेट) (निजी भूमि पर) करने क प्रयास किया जाना उचित रहेगा। जिससे अनाधिकृत निर्माण भी हट जाये एवं लोगो की आस्था का भी सम्मान बना रहे।

इस सम्बन्ध में अनाधिकृत निर्माण को विस्थापित किये जाने एवं अन्य विकल्पों पर विचार किये जाने हेतु मजार एवं मन्दिरों के लिए पृथक–पृथक समितियों का गठन किया गया है। समिति में क्षेत्रीय पार्षद, स्थानीय धर्म गुरूओ के साथ ही क्षेत्र के प्रभावशाली समाजसेवियो को भी शामिल किया गया है। उक्त समिति सम्बन्धित निर्माण से जुडे हुये जन समूह स्थानीय जनप्रतिनिधियों और धर्मगुरूओ आदि से विचार विमर्श कर इन निर्माण को अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अपने विचार लिखित रूप से अधिकतम दो माह में उपलब्ध करायेगी तथा पाक्षिक रूप से की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या सादर प्रेषित है।

नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम झाँसी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), ग्वालियर रोड, झाँसी
Email Add:- pmcujnjhs@gmail.com Mob. 9473942722

पत्रांक 904 / M-30 / 41 दिनांक 27/10/2023

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
झाँसी।

महोदय,

अवगत कराना है कि आपके पत्रांक सं0 517/पी0ए0/न0आ0/न0नि0/2023-24 दिनाँक 18.10.2023 के क्रम में मा0 न्यायालय के आदेशानुसार एस0टी0पी0 में छोड़े जा रहे पानी में फीकलक्लीफोम की मात्रा एवं लक्ष्मी तालाब की जल की गुंणवात्ता का परिक्षण करने के लिए कहा गया है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि लक्ष्मी तालाब स्थित 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के इननेट एवं आउटलेट का परिक्षण यू0पी0 पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा सैम्पिंलिंग करके प्रत्येक माह रिपोर्ट निर्गत की जाती है, जिसमें फीकलक्लीफोम कर मात्रा मानक अनुसार है। उपरोक्त आख्या रिपोर्ट सहित संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मुकेश पाल सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मूल प्रा०पत्र सं० 165/2021 गिरजा शंकर राय आदि बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य व मूल प्रा०पत्र सं० 918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 के संबंध में अनुपालन आख्या

पत्रांक 904 / M-30 / 41 दिनांक- 27/10/23

विवरण	आख्या
माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैंच, न्यू दिल्ली में पारित वाद 38/2022 (मूल वाद सं० 165/2021) में दिनांक 10.10.2023 को पारित आदेश के प्रस्तर सं. 06 –The Learned counsel for State of UP has failes to point out any report relating to the Content of Fecal Coliform in the treated water discharge from the STP as also the water quality of Laxmital. Let the same be disclosed in the same report के सम्बंध में।	नेशनल लेक कन्जरवेशन प्लान (NLCP) के अन्तर्गत लक्ष्मीताल प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण योजना के अन्तर्गत लक्ष्मीतालाब को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से लक्ष्मीताल के समीप 26 एम०एल०डी० एस०टी०पी० का निर्माण किया गया है। अवगत कराना है कि 26 एम.एल.डी. एस.टी.पी. से लक्ष्मी तालाब में छोड़े जा रहे शोधित जल के पैरामीटरो का परीक्षण U.P. Pollution Control Board द्वारा प्रतिमाह सैम्पिंलिंग कर रिपोर्ट निगत की जाती है, जिसमें लक्ष्मी तालाब में छोड़े जा रहे शोधित जल के निम्न विवरण के अनुसार पैरामीटर प्राप्त हो रहे है, जोकि मानको के अनुरूप है। (रिपोर्ट संलग्न)

Outlet parameters for 4 MLD Tursury treatment plant at Laxmital Jhansi

Sl. No.	Parameters	Unit	Treated Sewage/ Outlet	Achievement of quality standards
1	pH	--	6.5-9.0	7.6
2	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	Mg/lit	≤ 30	4.0
3	Chemical Oxygen demand (COD)	Mg/lit	≤ 50	10.0
4	Total Suspened Solid	Mg/lit	≤ 100	Below Detective Limit
5	Total Dissolved Soild	Mg/lit	≤ 1000	673
6	Fecal Coliform Count	MNP	1000	Below Detective Limit
7	Total Coliform Count	MNP	2500	Below Detective Limit

(मुकेश पाल सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
झाँसी

AE

D/Letters/All Brief Note

Regional Laboratory

Regional Laboratory

Ph- 0510 2320473
email- rojhansi@uppcb in

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

AVAS VIKAS COLONY (TALPURA YOJNA)
KANPUR ROAD, JHANSI

ANALYSIS REPORT

1. Name of Effluent Generator Institute : 26 MLD STP of Laxmi Tal, Jhansi.
2. Name of STP Representative : Mr. Dharmveer Singh(Supervisor)..
3. Sample collected by : A K Sharma(SA)& Arun Kumar Mishra(ASO)
4. Date of Sample Collection : 05 10 2023
5. Sampling Point : Outlet of STP(4 MLD after sand and charcoal filtration)
6. Sample Method : Grab

S.N.	Parameter's	Value	Standard Limit as per MoEF and CC Notification October 2017
1.	Colour	Colourless	All efforts should be made to remove colour and unpleasant odour as far as practicable.
2.	Odour	Odourless	
3.	pH	7.60	6.5-9.0
4.	Biochemical Oxygen Demand (B O D $_{3,27^{0}c}$)	4.00	30 mg/l
5.	Chemical Oxygen Demand	10.00	
6.	Total Suspended Solid	BDL	<100 mg/l
7.	Total Dissolved Solid	673.00	-
8.	Faecal Coliform (MPN Index/100 ml)	BDL	<1000
9.	Total Coliform (MPN Index/100 ml)	BDL	

nalyzed By:

Scientific Assistant

Assistant Scientific Officer

Regional Officer